कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2618 / 12-1 : देहरादूनः दिनांकः 29 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट–घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शैल्टर, म्यूलहट, गेगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट, पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्रॉली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
प्रस्ताव संख्या (FP/UK/Other /20905/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–08बी / यू0सी0पी0 / 09 / 103 / 2021 / एफ0सी0 / 115, दिनांक 26.4.2022

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ द्वारा अपने पत्रांक संख्या–2043 / 12–1 दिनांक 24.12.24 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की पत्रांक–2856 / 23एल0ए0 दिनांक 21.12.2024 की छायाप्रति मयसंलग्नकों सहित 21 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार भारत सरकार से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृति वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जायेगा जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
3(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 1786 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA Rate for 1.786 ha area वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार वन प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत 1.786 है0 वन भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा तथा जहां तक व्यवाहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का प्लांटेशन किया जायेगा जिसे 01 से 02 वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 7,28,674.00 कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है। **संलग्नक–1**

Gen Lett.

(ख)	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम Coordinates एवं अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
(ग)	प्रत्यावर्तित किये जानके वाले क्षेत्र की केएमएल फाईल वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंनट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिये कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0पी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र का कार्य करने हेतु अनुमति जारी करने से पूर्व आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा किया जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधन शामिल किये जा सकते हैं।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मुल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.893 है0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन प्रभाग से हस्तान्तरित 0.893 है0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 955037.00 कैम्पा फण्ड में NEFT/RTGS DATED 04-7-2022 APPLICATION NO 19920925378 द्वारा जमा कर दिया गया है। जो कि कुल जमा धनराशि रू0 16,83,711.00 में सम्मिलित है। **संलग्नक–1 के अनुसार।**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–3)**।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि समरेखण में आने वाले 34 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाऐंगे।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि को ई–पोर्टल पर कैम्पा फण्ड में जमा किया जा चुका है।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क,

	कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोकता अभिकरण को शर्त मान्य है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
13	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाऐगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हो।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाऐगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाऐगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 19.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
18	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
19	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) पर अपलोड की जाएगी।	उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या को ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा।

अतः उक्तानुसार आख्या संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत् प्रकरण में उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2618 / 12-1/ तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

4. निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।
5. उप वन संरक्षक, नन्दादेवी, राष्ट्रीय पार्क, ज्योर्तिमठ।
6. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

142

कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योतिर्मठ।

Phone & Fax No.- 01389-222179
E-mail- dcfndnp-fprest-uk@nic.in

पत्रांक– 2043 /12-1 ,ज्योतिर्मठ, दिनांक, 24 -12- 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– **प्रस्ताव सं0 FP/UK/OTHER/20905 / 2016 जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट–घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शैल्टर, म्यूलहट, गेगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट, पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्रॉली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 09 / 103 / 2021 / एफ0सी0 / 115, दिनांक 26.04.2022 व प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 2856 / 23 एल0ए0, दिनांक 21.12.2024.

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में अधिरोपित शर्तों / प्रतिबन्धों की बिन्दुवार आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसे मूल प्रति सहित 03 प्रतियों में निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति किसी भी दशा में नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1786 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA Rate for 1.786 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	इस वन प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत 1.786 है0 वन भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा तथा जहां तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाये जायेगें जिसे 01 से 02 वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 7,28,674.00 कैम्पा फण्ड में जमा कर दिया गया है।(संलग्नक–1)
ख	राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य हैं।
ग	प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाइल वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एम0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0पी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया, ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र का कार्य करने हेतु अनुमति जारी करने से पूर्व आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
5(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP© संख्या 202 / 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा इस वन प्रभाग से हस्तान्तरित 0.893 है0 वन भूमि की एन0पी0वी0 की देय धनराशि

प्रभारी चमोली
आ0वा0 मो0,
उ0व0सं0/नि0
2/1/25

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्रांक 2672
फाइल 12-1
4-1-25

	2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी.(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ताा अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.893 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	रू0 9,55,037.00 (रू0 नौ लाख पचपन हजार सैंतीस) मात्र कैम्पा फण्ड में **NEFT/RTGS DATED 04-07-2022 APPLICATION NO. 19920925378** द्वारा जमा कर दिया गया है। जो कि कुल जमा धनराशि रू0 16,83,711.00/– में सम्मिलित है**(संलग्नक–1 के अनुसार)**।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है।**(संलग्नक–2)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि समरेखण में आने वाले 34 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल(http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण धनराशि को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा किया गया है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक इेधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिर्लस द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
15	वन भूमि का उपयोगा परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ऐजेन्सियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017– दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
19	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।

	जायेगा।	
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी को शर्त मान्य है।
21	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सम्पूर्ण अनुपालन आख्या ई–पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दर गयी है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ।

पत्रांकः– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1– निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

2– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में।

उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, ज्योतिर्मठ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 **E Mail :- eepdgpr1@gmail.com**

पत्रांक– 2856 /23 एल0ए0 दिनांक– 21 –12–2024

सेवा में,

उपवंन संरक्षक
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क,
ज्योतिर्मठ

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट–घांघरिया–हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शैल्टर म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झूला पुल, ट्राली एवं हैली पैड निर्माण हेतु 0.893 हे॰ वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– आपका पंत्राक 1646 / 12–1 दिनांक 19.11.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण मंन्त्रालय एकीकृति क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून का पंत्राक 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 180 / 2016 / एफ0सी0 / 1718 दिनांक 17.01.2021 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में आख्या बिन्दुवार तैयार करते हुये इस कार्यालय के पंत्राक 1099 / 24 एल0ए0 दिनांक 06.07.2022 द्वारा पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है पुनः अनुपालन आख्या तैयार कर बिन्दुवार निम्नवत प्रषित हैः–

बिन्दु सं॰	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में स्वीकृति वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः (क) वन विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1786 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा। एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि / सी0ए0 Rate for 1-660 he area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियॉ की एकल प्लानटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। (ग)प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्लू एल0एम0पी0 क्षेत्र को परियोजना के लिए कार्यअनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड़ किया जायेगा।	उक्त परियोजना में 1 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होने की दशा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लागू नही है।

Received 24-12-24 L.T आ॰ का॰ को

Bufl

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन स्तंभन की लागत परयोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण और सीमांकन स्तम्भ लागत को वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।
5	**शुद्व वर्तमान मूल्यः** (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28.03.200824.08. 2008 एवं 09.05.2006 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt) दिनांक 30.10.2023 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.893 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(एन0पी0वी0 एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रू॰ 1683711.00 (सोलह लाख तिरासी हजार सात सौ ग्यारह) एस0बी0आई0एन0 22186624777 दिनांक 05.07.2022 द्वारा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। वनभूमि क शुद्व वर्तमान दर में अतिरिक्त वृद्वि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया लायेगा। सलंग्न –2 न॰ (ख) वन भूमि के शुद्व एन0पी0वी0 वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हों जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो के राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंड़ों की कटाई को न्यून्तम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेंड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 34 trees से अधिक नही हेगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वनभूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों का न्यून्तम पातन किया जायेगा। प्रभावित होने वाले वृक्षों का न्यून्तम पातन कार्य वन विभाग के पक्ष की निगरानी में किया जायेगा।

7	परियेजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबधन और योजना प्राधिकारण फंड से स्थानतरित जमा कर दिया गया है।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम सें सुनिश्चित किया जाएगा।	निर्धारित शर्त का अनुपालन मान्य है। प्रमाण पत्र सलंग्न है।
9	पर्यावरण (संरक्षक) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा। शर्त मान्य है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि में किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों कैरोसीन/वैकल्पिक ईधन की व्यवस्था की जायेगी।
13	संबन्धित मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward backward bearing अकिंत हो।	प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्रे के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य के समय वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नया मार्ग नही बनाया जायेगा।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित परियोजना हेतु उपयोग किया जायेगा।
16	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्त्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी	शर्त मान्य है।

Bmy

	प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
18	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त मान्य है।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किय जायेगा।	प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल हेतु चयनित स्थलों पर वन विभाग की निगरानी में मलवा निस्तारण किया जायेगा। अनावश्यक रूप से वन भूमि में मलवा निस्तारण नही किया जायेगा।
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल है। (https//parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त मान्य है।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

पत्रांक – / 23 एल0ए0 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता (प्रथम) लो0नि0वि0 गोपेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

संलग्नक - 01

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कॉर्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-07-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	19920905378
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/103/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	1683711/-

Amount in Words :Sixteen Lakh Eighty-Three Thousand Seven Hundred and Eleven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508919920905378 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then Kindly mail a copy
Email: cb0371@unionbankofindia.com

05-07-22

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

STATE BANK OF INDIA 03291 Gopeshwar

SBIN522186624777

05 JUL 2022

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

05 JUL 2022

संलग्नक-02

प्रमाण पत्र ।

विषय– जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट–घंघरिया–हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शेल्टर म्यूलहट गैंगहट शुलभ शौचालय वास आउट पैदल मार्ग झूला पुल ट्राली एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु 0.893 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि एन0पी0वी0 देय धनराशि में किसी प्रकार से कोई वृद्वि होती है। तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढी हुई धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
गोपेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

(16)

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.893 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang Hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspension Bridge, Trolly, Halipad and Reconstruction of washout bridle road Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Joshimath Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.893 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

2/11/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

DM FRA Letter

AnyScanner

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 29.07.16 at time 10:00 AM at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 0.893 hect for the construction of Rain Shelter, Mule hut, Gang hut, Sulabh Sochalaya, Bridle Suspesion Bride, Trolly, Halipad and Reconstruction of washout Bridle road Under PWD Gopeshwar Under State Sector at Joshimath Block in District- Chamoli, forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar
Dated: 29-07-16

Signature
29.07.16
(Vinod Kumar Suman)
District Magistrate Chamoli
जिलाधिकारी
चमोली

21/12/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
गोपेश्वर

DM FRA Letter

(18)

प्रपत्र 232

परियोजना का नाम :— जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट—घांघरिया —हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत **जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट—घांघरिया —हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893** हे॰ सिविल/आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि॰ 2-7-16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्पारागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा॰ सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार है:—

1— श्री शैलेन्द्र नेगी .... उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष
2— श्री सर्वेश कुमार दुबे .... उप प्रभागीय वनाधिकारी — सदस्य
3— श्री विजय प्रसाद पुरोहित .... सहायक समाज कल्याण अधिकारी — सदस्य/सचिव
4— श्री श्रीमती शकुन्तला देवी .... बी॰डी॰सी॰ क्षेत्र

(शकुन्तला देवी) क्षेत्र पंचायत सदस्य पाण्डुकेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत गोविन्दघाट - हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन शेल्टर म्यूलहट गैंग हट हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे॰ वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा॰ सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा॰ सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(शकुन्तला देवी)
उप जिलाधिकारी जोशीमठ	उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ	सदस्य/सचिव	बी॰डी॰सी॰

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि॰
गोपेश्वर

परियोजना का नामः– **जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट–घांघरिया –हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में जनपद चमोली के अन्तर्गत गोविन्दघाट–घांघरिया –हेमकुण्ड साहिब पैदल मार्ग पर रैन, शेल्टर, म्यूलहट, गैंगहट, सुलभ शौचालय, वास आउट पैदल मार्ग, झुला पुल, ट्राली एवं हैलीपैड निर्माण हेतु 0.893 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु .... हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि .... हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रा0पं0 वि0 अ0
भ्यूंडार

ह0 वितपा देवी
दि0 27/04/14

DM FRA Letter

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 27.4.16 को ग्रामसभा Bhyundar की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	दिनेशसिंह पडियार(?)	[signature]
②	शिवसिंह चौहान	[signature]
③	विनोद सिंह चौहान	[signature]
④	तेजेन्द्रसिंह चौहान	[signature]
⑤	गोपाल सिंह चौहान	गोपालसिंह
6	देवेन्द्रसिंह चौहान	[signature]
7.	Sanjay Singh Chauhan	[signature]
		ग्राम पंचायत ... ग्रा0 भ्यूंडार ... दि0 27/04/16 विकास खण्ड जोशीमठ (चमोली)
	VPDO	

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0 गोपेश्वर।